Email: director.cswri@icar.gov.in
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांक 6(417)एसपी / 2021 / दिनांक 31.03.2021

निमित्त,

M/s VISHAL SECURITY FORCE,
F-4, 4th Floor Pinnade Business Park, Shanti Nagar,
Mahakali Coves Road Andheri (East) Mumbai 400 093
Email info@vsfgroup.in md@vsfgroup.in
mob no. 9769010874

विषय : संस्थान की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध को जॉब कोन्ट्रक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने बाबत।

महोदय,

आप द्वारा भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अविकानगर की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध को जॉब कोन्ट्रक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु ई–निविदा 2020_DARE_615142_1के क्रम में बिड आईडी संख्या 2243822 में दिया गया सर्विस चार्जेज रू.0.01प्रति चौकीदार प्रतिमाह सक्षम अधिकारी महोदय ने निम्नाकिंत कार्य एवं नियम एवं शर्तो पर स्वीकार कर लिया है :–

श्रेणी	Essential Qulifaction	प्रति दर प्रति माह
अर्द्धकुशल श्रेणी, जॉब –2 चौकीदार मय रिलीवर (30) पारी (27) सुरक्षा बिन्दु (9)	संस्थान की सुरक्षा हेतु तैनात किये जाने वाले चौकीदार अग्नीशमन कार्य में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अच्छी कद–काठी के हष्ट–पुष्ट, स्वस्थ, पढ़े–लिखे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी चाकीदारों के पास प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (Security and Fire fighting related certification/experience) होना चाहिए।	Monthly Rate(30 days) –Rs.11250.00 ESI Contribution Employee @0.75% = Rs.84.38 EPF Contribution Employee @12% = Rs.1350 Net payable to Chowkidar with reliver -Rs.9816/- EPFContributionEmployer(firm)@ 13% = Rs.1462.50 ESI Contribution Employer (firm) @3.25% = Rs.365.63 Service Charges of firm = Rs.0.01 GST 18% Rs.2354/- Total per Chowkidar with reliver–Rs.15432/- Grant Total Per month Rs.4,62,960/-

Note: -Minimum wages/GST/ESI/EPF etc. rates will be revised as per instructions of GOI.

कार्य विवरण (Scope of Work) :–

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान का सम्पूर्ण प्रक्षेत्र क्षेत्र (Farm Area) जो कि 1510 हैक्टर में फैला है की चौबीस घण्टे (Round the Clock) सुरक्षा करनी होगी जिसमें संस्थान की चार दीवारी मय तारबन्दी, कार्यालय भवनों, प्रयोगशालाएँ, कृषि उपकरण शेड, केन्द्रीय भण्डार, वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग, एल. पी.जी. गौदाम, आवासीय परिसर इत्यादि शामिल है तथा सुरक्षा कार्य हेतु निर्धारित सुरक्षा बिन्दु (Security point) निम्नानुसार है–

क्र.सं.	सुरक्षा बिन्दु (Security point)	चौकीदार की संख्या मय रिलीवर	पारी	समयावधि	विशेष विवरण
1	मुख्य द्वार (दो सुरक्षा रक्षक प्रत्येक पारी में)	6	3 पारी	24 घण्टे	1. प्रथम पारी का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा। 2. द्वितीय पारी का समय सायं 4.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा। 3. तृतीय पारी का समय रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक होगा
2	आवासीय परिसर टाईप 5–6	3	3 पारी	24 घण्टे	
3	प्रशासनिक भवन	3	3 पारी	24 घण्टे	
4	फार्म / कच्चा बन्धा	3	3 पारी	24 घण्टे	
5	चांदसेन गेट	3	3 पारी	24 घण्टे	
6	आवासीय परिसर टाईप 1–4	3	3 पारी	24 घण्टे	
7	सेक्टर न. 18 घाटी गेट	3	3 पारी	24 घण्टे	
8	टी पांईट	3	3 पारी	24 घण्टे	
9	फार्म एरिया गश्त हेतु	3	3 पारी	24 घण्टे	
	कुल	30	27 पारी	24 घण्टे	

नोटः 1. सभी सुरक्षा रक्षको को उपरोक्त बिन्दुओं पर सुरक्षा करने के साथ–साथ प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग के निर्देशानुसार दिन–रात गश्त भी करनी होगी।

2. संस्थान में कार्यरत चौकिदारों को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 19 जनवरी, 2017 के अनुसार कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्द्ध कुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। चौकीदारों की संख्या 25 प्रतिशत तक कम या ज्यादा हो सकती है।

सुरक्षा कार्य की नियम व शर्ते (Terms and conditions of Security work):–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश प्रथम दृष्टया दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक Observation पर दिया जाता है अनुबंध की अवधि निविदा की नियम एवं शर्तो के अनुसार सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा बढ़ाया जाएगा। कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि को एक से दो वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य चौकिदारों से पूर्ण करवाने एवं उनको आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु एक सुपरवाईजर नामित करना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
3. सुरक्षा कार्य के दौरान संस्थान की चार दीवारी जिसमें तारबंदी भी शामिल है की देखभाल करनी होगी तथा जहाँ कहीं भी तारबन्दी / फेन्सिगं क्षतिग्रस्त होती है उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी सुरक्षा को देते हुए प्रभारी के निर्देशानुसार तारबन्दी / फेन्सिंग की मरम्मत करनी होगी। साथ ही अगर फेन्सिंग / तार चोरी होते है तो अनुबन्धकर्ता को स्वयं के खर्च पर नई फेन्सिंग / तार लगाने होंगें।
4. संस्थान के प्रक्षेत्र क्षेत्र में खड़े सभी वृक्षों की पेड़ काटकर ले जाने वाले अवांछित व्यक्तियों से सुरक्षा करनी होगी तथा सुरक्षा के दौरान ऐसे अवांछित व्यक्ति संस्थान परिसर में पाये जाते है तो उनकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी, तथा अपने स्तर पर तुरन्त उचित कार्रवाई भी करनी अपेक्षित है।
5. संस्थान परिसर से कोई भी सामान जैसे कि–फार्म के अन्दर उगाई / पाई जाने वाली सभी फसलें तथा उनसे उत्पन्न अनाज, चारा, सूखी लकड़ियां, खाद इत्यादि प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग की स्वीकृति के उपरान्त मुख्य द्वार से ले जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. संस्थान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम व पता तथा संस्थान में आने का उद्देश्य, वाहन का नम्बर मय चालक के नाम व उनमें रखें सामान का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा तथा प्रतिदिन प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग से सत्यापित कराना होगा। साथ ही इस कार्य को इस प्रकार सम्पादित करना होगा जिससे आने वाले व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हों।
7. चूँकि यह अनुसंधान संस्थान है तथा यहां पर प्रतिदिन किसान, विधार्थी , प्रशिक्षणार्थी एवं सरकारी अधिकारी / कर्मचारी आते रहते है, अतः उनका सभ्यता से परिचय लेकर विवरण रजिस्टर में नाम इन्द्राज कर संस्थान में प्रवेश करने दे तथा बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति / कर्मचारी से अभद्रता नहीं करे।
8. संस्थान की चार दीवारी मय तारबन्दी क्षेत्र से अवैघ जानवरों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी तथा संस्थान परिसर से इनको बाहर निकालना होगा।
9. सुरक्षा कार्य प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग एवं उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा तथा प्रत्येक सुरक्षा बिन्दुओं पर तैनात सुरक्षा रक्षक पारी परिवर्तन होने पर तब तक तैनात रहेगा जब तक दूसरा सुरक्षा रक्षक कार्य पर उपस्थित नहीं हो जाता।
10. अनुबन्धकर्ता को संस्थान की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा रक्षको के नाम की सूची मय मोबाइल नं. उपलब्ध करानी होगी तथा किसी भी सुरक्षा रक्षक का सुरक्षा के समय ड्यूटी पर मोबाइल बन्द नहीं आना चाहिए। अगर प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग किसी भी सुरक्षा रक्षक से बात करना चाहे और उसका मोबाइल बन्द रहा तो उन्हे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
11. अनुबन्धकर्ता प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग की अनुमति के बिना किसी भी सुरक्षा रक्षक को बदला नहीं जावेगा।
12. सुरक्षा करते समय कोई भी अवांछित घटना घटित होती है तो उसकी सूचना प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग / प्रतिनिधि को देनी होगी तदुपरान्त प्रभारी के निर्देशानुसार ही उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
13. संस्थान के सभी कार्यालय भवनों एवं प्रयोगशालाओं पर लगे तालों को प्रतिदिन कार्य समाप्त होने के रात्रि 10.00 बजे चेक करना होगा तथा कोई ताला खुला हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी एवं उनके निर्देशानुसार ताला लगाना होगा।
14. **संस्थान की सुरक्षा हेतु तैनात किये जाने वाले चौकिदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। साथ ही वे सुरक्षा एवं अग्नीशमन कार्य में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अच्छी कद–काठी के हष्ट–पुष्ट, स्वस्थ, पढ़े–लिखे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी चौकिदारों के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (Security and Fire fighting related certification/experience) की जांच प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग द्वारा करने के उपरान्त ही उन्हें सुरक्षा कार्य हेतु तैनात किया जावेगा।**
15. अनुबन्धकर्ता को सरकार के श्रम नियमों, ई.एस.आई. / ई.पी.एफ. जो भी लागू हो की पूर्ण पालना करनी होगी । साथ ही कोई भी सुरक्षा रक्षक 8 घण्टे से ज्यादा / डबल ड्यूटी नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसकी ड्यूटी स्वीकार्य नहीं होगी और एक सुरक्षा रक्षक का वेतन काट लिया जावेगा।
16. संस्थान की सुरक्षा में तैनात सुरक्षो को प्रतिदिन वर्दी में उपस्थित रहना होगा जिस पर उनका नाम व गले में पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

17. अनुबन्धकर्ता को संस्थान की सुरक्षा मे तैनात चौकीदारों को वर्दी तथा सुरक्षा कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे– सीटी, टार्च, लाठी एवं आवश्यक हो तो वाहन उपलब्ध कराना होगा। बिना सुरक्षा सामग्री एवं वर्दी के किसी भी सुरक्षा रक्षक को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
18. **संस्थान की सुरक्षा का कार्य एवं गस्त प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग के निर्देशानुसार होगी तथा सभी सुरक्षा रक्षको को प्रतिदिन सुरक्षा एवं गस्त की रिपोर्ट प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।**
19. कोई भी सुरक्षा कर्मी कार्य स्थल पर नशा नहीं करेगा तथा नशे की हालत में संस्थान में उनका प्रवेश वर्जित है।
20. सुरक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा सुरक्षा रक्षको की लापरवाही से अगर संस्थान का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
21. अनुबन्धकर्ता को सभी प्रकार के श्रम नियमों की पालना करनी होगी तथा चौकीदारों को सरकार द्वारा निर्धारित श्रम नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा जिसका उचित रिकार्ड रखते हुए संबंधित अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा। अगर अनुबन्धकर्ता एवं सुरक्षा रक्षको के बीच भुगतान को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और न ही संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान दिया जावेगा। साथ ही किसी भी न्यायिक कार्यवाही के संस्थान को पार्टी नहीं बनाया जावेगा यह अनुबन्धकर्ता एवं चौकीदारों का व्यक्तिगत मामला रहेगा।
22. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाये गये चौकीदार का प्रत्येक माह काटे जाने वाले ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 संबंधित कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त चालान की प्रतियाँ (प्रत्येक चौकीदार का अलग–अलग) (पिछले माह का अगले माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा जैसे माह मार्च से अनुबन्ध जारी होता है तो अप्रेल माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।) हर माह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाये जाने वाले जी0एस0टी0की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
23. उक्त अनुबन्ध कार्य/जॉब कोन्ट्रेक्ट हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी। स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व प्राप्ति बिल 3 प्रतियों में श्रीमान निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान के नाम भुगतान हेतु संस्थान में प्रस्तुत करने पर निश्चत समय अवधि में किया जायेगा। प्रस्तुत बिल के साथ **प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग** से कार्य सन्तोष–जनक पूर्ण करने की मासिक रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना प्रमाण–पत्र बिल अग्रिम कार्यवाही के लिये नही भेजा जावेगा तथा भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी।
24. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी को उसके द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों को भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक केवल एकाउण्ट पेयी चैक (मल्टीसीटी)/एन.ई.एफ.टी. द्वारा करना होगा। यदि अनुबन्धकर्ता की लापरवाही अथवा उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसके बिल के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस स्थिति में भी लगाये गये सभी प्रतिनिधियों को भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निश्चित रूप से करना होगा।बिलो का भुगतान केवल पुर्नभरण (Reimbursement) आधार पर ही किया जावेगा। भुगतान निर्धारित तिथि तक बिना किसी विशेष कारण के नहीं करने पर सक्षम अधिकारी महोदय पेनल्टी लगा सकते है।
25. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जायेगी।
26. कार्यावधि में ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों/श्रमिकों इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं पूरा खर्चा स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की राशि/क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
27. निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को एवं उसके समस्त प्रतिनिधियों/श्रमिकों को जो केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर–त0 मालपुरा–टोंक–राजस्थान परिसर में कार्य कर रहे हैं उन्हें सस्थान के सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी तथा ठेकेदार/फर्म/ऐजेन्सी/कम्पनी को उनके द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों/श्रमिकों का पहचान पत्र/गेट पास संस्थान के सुरक्षा अनुभाग से स्वयं के खर्चे पर बनवाना होगा।
28. साथ ही, संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अनुबंधकर्मियों/अनुबंधकर्ता से शिष्टता का व्यवहार रखना होगा । इस मामलें में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाई की जायेगी तो अनुबंध की नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
29. संस्थान में सुरक्षा अनुबंध हेतु संबंधित फर्म स्थानीय सुपरवाईजर एवं स्थानीय कार्यालय का पता उपलब्ध कराना होगा। जिसकी सूचना एक माह के भीतर मये पते के सत्यापन कराना अनिवार्य है ।
30. यह अनुबन्ध कार्य कार्य–आधार पद्धति **(**Work Contract Basis**)**पर आवंटित किया जायेगा।
31. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
32. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर (मालपुरा), होगा तथा Decision of Director, Institute shall be final for any aspect of the contract and binding to all parties. Disputes arising, if any on the contract will be settled at his/her level by mutual consultation and in case of failure of settlement dispute shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the Secretary, ICAR/Representative. The decision of the sole Arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. Arbitration proceedings shall be governed by the Arbitration & Conciliation Act, 1996.

दण्ड प्रावधान (Penality Clause):–

1. अनुबन्ध की अवधि के दौरान संस्थान परिसर/कार्यालय में होने वाली किसी भी प्रकार की चोरी/नुकसान की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा उसकी भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। साथ ही इसके लिए की जाने वाली समस्त कानूनी कार्यवाही अनुबन्धकर्ता को अपने स्तर पर करनी होगी जिसके लिए संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा। नुकसान का आकलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा किया जावेगा।
2. सुरक्षा कार्य के दौरान कोई भी सुरक्षा कर्मी कार्य से अनुपस्थित, नशे की हालात में पाया जाता है अथवा सोता हुआ पाया जाता है तो उसका उस दिन का भुगतान देय नहीं होगा तथा प्रतिदिन प्रति सुरक्षा कर्मी के 1000/– रूपये दण्ड स्वरूप वसूले जाएगें।
3. अनुबन्ध की अवधि में संस्थान परिसर में कोई पेड़ बिना अनुमति के काटता है अथवा लकड़ी की चोरी होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। नुकसान का आकलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा किया जावेगा।
4. संस्थान परिसर से आवारा जानवर जैसे–नीलगाय, कुत्ते, बकरियाँ, गाय–भैंस इत्यादि भगाने होंगे तथा अगर प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को संस्थान परिसर में आवारा जानवर पाये जाते है तो रूपये 25/– प्रति जानवर के हिसाब से जुर्माना लागू होगा जिसे आपके देय बिल में से काटा जावेगा।

भवदीय,

Sd/-
(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
क्रय

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी सुरक्षा अनुभाग से निवेदन है कि वे अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा लगाये जाने वाले चौकिदारों के अनुभव/प्रविणता आदि की प्रमाणिकता की जांच अपने स्तर पर करने का श्रम करें। श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी /कम्पनी द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले सुरक्षा रक्षकों का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है की सुनिश्चित्ता करते हुये श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु क्रय अनुभाग में भिजवावें। अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा क्रय अनुभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. केश एण्ड बिल सेक्सन, 4. वित्त एवं लेखा अधिकारी, 5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग 6. सर्तकता अधिकारी 7. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

साथ ही, खर्च रू 13,88,893/–मात्र की स्वीकृति सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा ई –पत्रावली संख्या 123349 के नोट संख्या 15 दिनांक 24.03.2021 को वित्त वर्ष 2021–22 में संस्थान बजट से प्रदान कर दी है । अमानत राशि फर्म द्वारा रूपये 5 लाख बतौर इंडिया बैंक टीडीआर संख्या 0970681 दिनांक 26.03.2021 द्वारा फर्म द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जमा करा दी गयी है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

Digitally signed by SANJAY SHARMA
Date:Wed Mar 31 15:14:06 IST 2021
Reason: Approved